

## Corrigendum

The enquiry / Tender notice published by Akashvani Chhindwara on dt.  
30.07.2024 may be read as per corrected and attached enquiry.



(A.S.Deshpande)  
Asstt.Director(Engg)



प्रसार भारती  
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)  
आकाशवाणी, कुकड़ा हिल्स, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)  
Email - chindwara@prasarbharati.gov.in/ airchhindwara@gmail.com



क्रमांक छिन्दवाड़ा-3(6)2024-25/जी 1299  
प्रति,

दिनांक : 30/07/2024

डीजल वाहन को अनुबंध के आधार पर किराये पर लेने के लिये नियम व शर्तें

- निविदाकार के पास अपने स्वामित्व और अधिकार में छिन्दवाड़ा परिवहन कार्यालय द्वारा पंजीकृत कम से कम 3 टैक्सी जिसमें निम्नलिखित वाहन होना अनिवार्य है। टाटा इंडिका/जायलों/टवेरा/इनोवा अच्छी हालत एवं संतोषजनक सेवा देने योग्य होना चाहिये एवं कम से कम 2 टैक्सियों में सामान रखने हेतु लगेज केरियर होना चाहिये। एजेन्सी के पास छिन्दवाड़ा परिवहन कार्यालय द्वारा पंजीकृत ट्रेवल्स एजेन्सी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिये।
- वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बीमा की सत्यापित छाया प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न होना आवश्यक है।
- वाहनों में लगे माइलो मीटर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के नियमानुसार चालू हालत में होना चाहिये।
- GST अथवा तदनुषंगिक CA का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- यात्रा आकाशवाणी, कुकड़ा हिल्स छिन्दवाड़ा से प्रारम्भ होकर आकाशवाणी, कुकड़ा हिल्स, छिन्दवाड़ा पर ही समाप्त होगी।
- केवल रात में रुकने के लिये ही उचित प्रभारों का भुगतान किया जायेगा जो कि रात्रि 00.00 (शून्य) बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लागू होगा।
- शहर के बाहर की यात्रा के मामले में पूरे दिन के प्रभारों का भुगतान देय होगा।
- शहर के बाहर एवं अंतर्राज्यीय यात्रा की टोल टैक्स, कार पार्किंग शुल्क यदि कोई हो तो उस टैक्सी के बिल के साथ इस संबंध में राज्य सरकार की रसीद प्रस्तुत करने पर आकाशवाणी छिन्दवाड़ा द्वारा वाहन किया जायेगा। लेकिन प्रदायकर्ता को शहर से बाहर सभी यात्राओं के लिए अनुज्ञा पत्र (परमिट) अग्रिम रूप से प्राप्त करना आवश्यक होगा और इस कारण से उसके द्वारा किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा।

- आकाशवाणी, छिन्दवाड़ा, प्रदायकर्ता से प्राप्त वाहन को चलाए जाने की अवधि में दिये गये वाहन की किसी कारण से दुर्घटना, नुकसान या क्षतिग्रस्त इत्यादि होने के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
- चालक या किसी तीसरी पार्टी को वाहन प्रयोग करने के दौरान मृत्यु या किसी के चोट लग जाने लिये आकाशवाणी छिन्दवाड़ा जिम्मेदार नहीं होगा।
- प्रदायकर्ता चालक की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हुए नुकसान टूटफूट या चोट लग जाने के लिये या आकाशवाणी छिन्दवाड़ा को किराये पर दिए गये वाहन की अपर्याप्त देखरेख के कारण कार्यक्रम संबंधी सामान उपकरणों या अन्य किसी वस्तु के क्षतिग्रस्त होने या किसी कर्मचारी के दुर्घटना ग्रस्त होने के लिये जिम्मेदार होगा तथा पूरी भरपाई करेगा।
- दरें केवल निर्धारित प्रपत्र में ही दर्शानी चाहिये। दरें अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये वैध होगी।
- प्रदायकर्ता शर्तों के अनुरूप एवं अंकित की गयी दरों के प्रति बाध्यकारी होगा और उनसे सहमत बना रहेगा और करार लागू रहने के दौरान वह वाहनों को देने के लिये दरों में वृद्धि करने के लिये आग्रह नहीं करेगा।
- निविदा प्रपत्र के साथ पिछले वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी, सेवाकर प्रमाण पत्र, स्थापना का पंजीयन, टैक्सी के लिये गाड़ी R.T.O. से अनुमोदित होने पर इस पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। निविदाओं को बन्द लिफाफे के अन्दर भेजा जाये।
- वाहन चालक विनम्र एवं समय के पाबंद होना चाहिये एवं वाहन चालक शराब, ड्रग्स के नशे की हालत में वाहन को नहीं चलायेगा। वाहन के आचरण के लिये प्रदायकर्ता उत्तरदायी होगा। वाहन चालक के पास मोबाईल फोन होना अनिवार्य होगा।
- प्रदायकर्ता की जवाबदारी होगी कि वाहन चालक के पास छिन्दवाड़ा परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध लायसेंस होना अनिवार्य होगा, साथ ही वाहन में सभी आवश्यक कागजात, बीमा आदि होना चाहिये। वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार से ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान/दंड का भुगतान प्रदायकर्ता को करना होगा।
- आकाशवाणी छिन्दवाड़ा को जो वाहन किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे वे किराए पर लेने की तारीख को 7 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए अथवा 60,000 किलोमीटर से अधिक न चले हों।
- उपलब्ध कराये गये वाहन चालको को सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए यातायात नियमों और अन्य विनियमों का अनुसरण करना होगा। वाहन चालको को प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों से परिचित होना चाहिए।
- सम्बंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ड्यूटी पर्चियों के साथ प्रस्तुत प्री-रिसिट बिलों का भुगतान बिलों से सेवा कर और आयकर की कटौती उसे जमा करने के उपरान्त किया जायेगा।

- सीलबंद निविदाएँ सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी) आकाशवाणी छिन्दवाड़ा, कुकड़ा जगत छिन्दवाड़ा 480001 के कार्यालय में दिनांक 08.08.2024 को दोपहर 15:00 बजे तक पहुँचना अनिवार्य है। देरी से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जायेगी।
- टेलीफोन और मोबाईल फोन रखने वाले ट्रांसपोर्ट/टैक्सी मालिक ही आवेदन करें।
- यात्रा के अनुकूल वाहन चालक नहीं पाये जाने पर भुगतान देय नहीं होगा।
- वाहनों में प्राथमिक उपचार की सुविधा, स्टेपनी, अग्निशामक यंत्र, टूल्सकिट होना अनिवार्य है।
- कार्यालयाध्यक्ष उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) बिना पूर्व सूचना के कोटेशन निरस्त करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- निविदाकार के पास छिन्दवाड़ा शहर का गुमास्ता लाइसेंस होना जरूरी है।
- निविदाकार के पास छिन्दवाड़ा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा पंजीकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।



(अमोल एस. देशपांडे)  
सहायक निदेशक (अभि.)

**Quotation Format for Taxi booking**

| Sr. No. | Scope Of work                | Rate             |        |                  |        |        |
|---------|------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 1       | FOR LOCAL MOVEMENT           |                  |        |                  |        |        |
|         | Description                  | 5 seater vehicle |        | 7 seater vehicle |        |        |
|         |                              |                  |        | Tavera/ Bolero   |        | Innova |
|         |                              | AC               | Non AC | AC               | Non AC | AC     |
| a.      | Rate up to 4 hrs. 30 K.M.    |                  |        |                  |        |        |
| b.      | Rate upto 08 hrs. 60 K.M.    |                  |        |                  |        |        |
| c.      | Extra Hrs. Charges per hr.   |                  |        |                  |        |        |
| d.      | Extra Hrs. Charges per K.M.  |                  |        |                  |        |        |
| 2       | OUT STATION                  |                  |        |                  |        |        |
| a.      | Up to 100 K m                |                  |        |                  |        |        |
| b.      | Rate beyond 100KM for per Km |                  |        |                  |        |        |
| c.      | Night Halt Charges Per night |                  |        |                  |        |        |



(Amol S. Deshpande)  
Asstt. Director (Engg.)